कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

PBR/निग/खरगोन/भू-रा०/2017/01530 (53)

निगरानी प्र.क. /2017

प्रस्तुति दिनांक : /05/2017

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर

द्वारकादास पिता वल्लभदास महाजन
आयु – 73 वर्ष, धंधा – कुछ नहीं,
निवासी – महेश्वर जिला खरगोन

-- प्रार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे पटवारी
हल्का नं. 23, महेश्वर जिला खरगोन
2. घनश्याम पिता चुन्नीलाल वाणी
निवासी – वृन्दावन कालोनी, महेश्वर
जिला खरगोन

-- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

इसमें प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय महेश्वर जिला खरगोन द्वारा रा.प्र.क. 21/अ–68/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 से असुंष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/खरगोन/भू0रा0/2017/1530

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–10–2018	आवेदक की ओर से श्री बी0के0गुप्ता एवं श्री टी0टी0गुप्ता अधिवक्ता तथा अनावेदक कमांक 2 की ओर से श्री मुकेश तारे अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायलय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भूराजस्व संहिता में दिनांक 25–09–2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27–12–2018 को कलेक्टर जिला खरगोन के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	